

## रक्षा लेखा महानियंत्रक

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी -110010

सं.AN/XIII/13128/APAR/2014-15

दिनांक 28.07.2016

सेवा में

प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक

मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा (आयुध निर्माणी) कोलकाता

प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार/एकीकृत वित्तीय सलाहकार

विषय: ए.वि.स., क्षे.प्र.के., मु.आं.ले.प. (आ.नि.) तथा अन्य कार्यालय, जहाँ वा.का.मूरि. के मामले में रिपोर्टिंग अधिकारी नहीं हो, ऐसे कार्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी के वा.का.मूरि. की समीक्षा और स्वीकृति से संबंधित स्पष्टीकरण।

ऐसे व.ले.अधि./ले.अधि. जो ए.वि.स., क्षे.प्र.के., मु.आं.ले.प. (आ.नि.) या ऐसे अन्य कार्यालयों में तैनात हैं और जहाँ किसी कारण से रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक/रक्षा लेखा उप नियंत्रक/रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक/रक्षा लेखा अपर नियंत्रक (रिपोर्टिंग अधिकारी) कार्य हेतु 90 दिन की अर्हक अवधि या इससे अधिक दिनों के लिए तैनात नहीं है उनकी वा.का.नि.मूरि. को पूरा करने के मामले पर मुख्यालय में विचार किया गया और संबंधित अनुभागों से चर्चा के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसे वा.का.नि.मूरि.को पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग और अभ्यावेदन पर विचार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया/प्रबंध किया जाए। इसे माननीय र.ले.म.नि. ने अनुमोदित कर दिया है।

वा.का.मूरि. के मामले की प्रकृति	प्रतिवेदन अधिकारी	पुनर्विलोकन अधिकारी एवम स्वीकार करने वाले अधिकारी	वा.का.मूरि. में ग्रेडिंग और प्रविष्टियों के लिए अभ्यावेदन पर विचार करने वाले अपीलीय प्राधिकारी
व.ले.अधि/ले.अधि जो प्र.ए.वि.स./ए.वि.स./क्षे.प्र.के./मु.आं.ले.प. (आ.नि.) कोलकाता या अन्य ऐसे कार्यालयों में तैनात है जहाँ किसी कारणवश रिपोर्टिंग के लिए 90 दिनों की अर्हक अवधि अथवा इससे अधिक दिनों के लिए र.ले.स.नि./र.ले.उ.नि./र.ले.सं.नि./र.ले.अपर.नि. तैनात नहीं हैं जो रिपोर्टिंग कार्य कर सकते।	प्र.ए.वि.स./ए.वि.स./मु.आं.ले.प. (आ.नि.), जिसके अधीन अर्हक सेवा पूरी की	र.ले.अपर.म.नि. (संबंधित)	र.ले.म.नि.

2. मु.आं.ले.प. (आ.नि.) के दिनांक 02.05.2016 के पत्र सं. CIA/AN-I/APAR/44/XXXV के प्रत्युत्तर में।

ह. . .

(टी के जजोरिया)

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. रक्षा मंत्रालय (वित्त), र.ले.वि. (समन्वय)  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
  2. र.ले.म.नि. के निजी सचिव/निजी सहायक
  3. सभी र.ले.अपर म.नि. के निजी सचिव/निजी सहायक
- } सूचनार्थ
4. प्रशासन - II अनुभाग (स्थानीय) } सूचनार्थ और दिनांक 08.12.2015, 15.02.2016 और  
03.05.2016 के अ.टि.सं. AN/II/2601/APAR के  
अनुसार कार्रवाई करने के लिए
5. ए.वि.स. स्कंध (स्थानीय) - उपर्युक्त संदर्भ के साथ सूचनार्थ।
  6. ईडीपी स्कंध - वैबसाइट में अपलोड करने के लिए।

ह. . .

(बृज किशोर)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)

**रक्षा लेखा महानियंत्रक**  
**उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी -110010**

सं. AN/XIII/13128/APAR/2014-15

दिनांक 28.07.2016

सेवा में

प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार/एकीकृत वित्तीय सलाहकार

विषय: नव-सृजित ए.वि.स. कार्यालयों में डैडिकेटेड ए.वि.स. के तौर पर तैनात व.ले.अ./ले.अ. का वा.का.मूरि. चैनल।

डीएफपीडीएस - 2015 के अनुपालन के परिणामस्वरूप, कुछ व.ले.अ./ले.अ. को कोर्प्स स्तर के नीचे डैडिकेटेड एकीकृत वित्तीय सलाहकार के तौर पर 10 लाख रुपये के वित्तीय प्रस्ताव की सहमति के लिए तैनात किया गया था। नव-सृजित ए.वि.स. कार्यालयों में डैडिकेटेड ए.वि.स. के तौर पर तैनात व.ले.अ./ले.अ. का वा.का.मूरि. चैनल से संबंधित मामले पर विचार किया गया और बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसे वा.का.नि.मूरि.को पूरा करने के लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग और अभ्यावेदन पर विचार के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया/प्रबंध किया जाए। इसे माननीय र.ले.म.नि. ने अनुमोदित कर दिया है।

वा.का.मूरि. के मामले की प्रकृति	प्रतिवेदन अधिकारी	पुनर्विलोकन अधिकारी	स्वीकार करने वाले अधिकारी	वा.का.मूरि. में ग्रेडिंग और प्रविष्टि के लिए अभ्यावेदन पर विचार करने वाले अपील प्राधिकारी
डैडिकेटेड एकीकृत वित्तीय सलाहकार के तौर पर 10 लाख तक वित्तीय सहमति के लिए तैनात हुए नए व.ले.अ./ले.अ.	सक्षम वित्तीय प्राधिकारी <b>अथवा</b> संबंधित कर्नल/ब्रिगेडियर/ मेजर जर्नल एवं इनके समकक्ष जिनके अधीन अर्हक सेवा पूरी की है (यदि सक्षम वित्तीय प्राधिकारी कमान एकीकृत वित्तीय सलाहकार से वरिष्ठ हो तो)	संबंधित कमान एकीकृत वित्तीय सलाहकार.	र.ले.अपर.म .नि. (वित्त)	र.ले.म.नि.

ह. . .

(टी के जजोरिया)

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. रक्षा मंत्रालय (वित्त), र.ले.वि. (समन्वय)  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
  2. र.ले.म.नि. के निजी सचिव/निजी सहायक
  3. सभी र.ले.अपर म.नि. के निजी सचिव/निजी सहायक
- } सूचनार्थ
4. प्रशासन - ॥ अनुभाग (स्थानीय)
- } सूचनार्थ और दिनांक 08.12.2015, 15.02.2016 और  
03.05.2016 के अ.टि.सं. IFA/03/Army/Coverage के  
अनुसार कार्रवाई करने के लिए
5. ए.वि.स. स्कंध (स्थानीय) - उपर्युक्त संदर्भ के साथ सूचनार्थ।
  6. ईडीपी स्कंध - वैबसाइट में अपलोड करने के लिए।

ह. . .

(बृज किशोर)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशा.)